न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 541 सन 2020
अनवान :–

1. लोकेश कुमार पुत्र रामेश्वरलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थाान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज
निर्णय दिनांक :– 21/01/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा ढाणी चारणान के खाता संख्या 190 / 181 के खसरा न0 123 / 1.9800हैक व खसरा न0 445 / 123 की कुल 4.0020हैक कुल 5.9820हैक जिसमें वादी का सयुक्त तौर से 253 / 2991हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में सहवन से बाबुलाल पुत्र रामेश्वलाल दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम लोकेश पुत्र रामेश्वरलाल है वादी को बाबुलाल एवं लोकेश कुमार दोनो नामो से पुकारा जाता था सहवन से राजस्व रिकार्ड में बाबुलाल दर्ज हो गया लेकिन अन्य सभी दस्तावेजात में वादी का नाम लोकेश पुत्र रामेश्वरलाल दर्ज है सही नाम लोकेश कुमार है वादी अपना नाम सही करवाने का अधिकारी है।

वादी ने अपने कथनों के समर्थन में मतदाता फोटो पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, आयकर विभाग की आईडी आदि सभी में वादी का नाम लोकेश पुत्र रामेश्वरलाल दर्ज है अर्थात सही नाम लोकेश पुत्र रामेश्वरलाल है।

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से वादी का राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ नही मिल पा रहा है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादी अपना नाम संशोधन करवाने का अधिकारी है

अत : वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादी का नाम बाबुलाल के स्थान पर लोकेश कुमार संशोधन करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिय सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर वादी का नाम राज्यहको को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण किया जाना उचित है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ढाणी चारणान के खाता संख्या 190 / 181 के खसरा न0 123 / 1.9800हैक व खसरा न0 445 / 123 की कुल 4.0020हैक कुल 5.9820हैक जिसमें वादी का सयुक्त तौर से 253 / 2991हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में सहवन से बाबुलाल पुत्र रामेश्वलाल दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम लोकेश पुत्र रामेश्वरलाल है वादी को बाबुलाल एवं लोकेश कुमार दोनो नामो से पुकारा जाता था सहवन से राजस्व रिकार्ड में बाबुलाल दर्ज हो गया लेकिन अन्य सभी दस्तावेजात में वादी का नाम लोकेश पुत्र रामेश्वरलाल दर्ज है सही नाम लोकेश कुमार है वादी अपना नाम सही करवाने का अधिकारी है।

वादी ने अपने कथनों के समर्थन में मतदाता फोटो पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, आयकर विभाग की आईडी आदि सभी में वादी का नाम लोकेश पुत्र

अत : वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादी का नाम बाबुलाल के स्थान पर लोकेश कुमार संशोधन करने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसार रोही मौजा ढाणी चारणान के खाता संख्या 190/181 के खसरा न0 123/1.9800हैक व खसरा न0 445/123 की कुल 4.0020हैक कुल 5.9820हैक जिसमें वादी का सयुक्त तौर से 253/2991हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वादी का कथन है कि उसका सही नाम लोकेश कुमार है वादी को बाबुलाल एवं लोकेश कुमार दोनो नामो से पुकारा जाता हे दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है सही नाम लोकेश कुमार है यही राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है सभी दस्तावेजात में यही नाम दर्ज है

वादी ने अपने कथनों के समर्थन में मतदाता फोटो पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, आदि पेश किये सभी में वादी का नाम लोकेश कुमार दर्ज है

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं पेरोकार राज ने किसी प्रकार का ऐतराज नही करने पर वादी का सही नाम लोकेश कुमार पुत्र रामेश्वरलाल होना प्रतीत होता है

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने से सयुक्त खातेदारों के हिस्सा में किसी प्रकार का परिर्वतन नही होता है वादी के नाम संशोधन से राज्यहकों को कोई नुकसान नही होता है बल्की राजस्व रिकार्ड ही आदिनांक होता है

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत /शपथ पत्र एवं पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है रोही मौजा ढाणी चारणान के खाता संख्या 190/181 के खसरा न0 123/1.9800हैक व खसरा न0 445/123 की कुल 4.0020हैक कुल 5.9820हैक जिसमें वादी का सयुक्त तौर से 253/2991हिस्सा भूमि में दर्ज बाबुलाल पुत्र रामेश्वरलाल के स्थान पर लोकेश कुमार उर्फ बाबुलाल पुत्र रामेश्वरलाल संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/01/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्याायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. लोकेश कुमार पुत्र रामेश्वरलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राजस्थाान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 541 सन 2020 निर्णय दिनांक– 21/01/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी चारणान के खाता संख्या 190/181 के खसरा न0 123/1.9800हैक व खसरा न0 445/123 की कुल 4.0020हैक कुल 5.9820हैक जिसमें वादी का सयुक्त तौर से 253/2991हिस्सा भूमि में दर्ज बाबुलाल पुत्र रामेश्वरलाल के स्थान पर लोकेश कुमार उर्फ बाबुलाल पुत्र रामेश्वरलाल संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)